



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012020-215298
CG-DL-E-10012020-215298

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92]
No. 92]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 7, 2020/पौष 17, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 7, 2020/PAUSHA 17, 1941

विद्युत मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2019

का.आ. 100(अ).—सार्वजनिक स्थल (अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित अधिकारी, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समतुल्य हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियों के संबंध में, अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत संपदा अधिकारी को दी गई शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे:

तालिका

अधिकारी का पदनाम (1)	सार्वजनिक परिसर तथा अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं (2)
अनुभाग प्रमुख (कर्मचारी सेवा/प्रशासन), एनटीपीसी लिमिटेड, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, बरौनी	एनटीपीसी लिमिटेड से संबंधित या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए तथा इसके बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, बरौनी, जिला बेगुसराय, बिहार-851116 के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी परिसर।

[फा. सं. 19/32/2015-थर्मल-I (भाग-III)]

विवेक कुमार देवांगन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2019

S.O. 100(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being officer equivalent to the rank of Gazetted Officer in the Government of India, to be Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of the jurisdiction in respect of the categories of public premises specified in column (2) of the said Table, namely:-

TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Sectional Head (Employee Services/Administration), NTPC Limited, Barauni Thermal Power Station, Barauni	All premises belonging to or taken on lease by NTPC Limited and under the administrative control of its Barauni Thermal Power Station, Barauni, District-Begusarai, Bihar-851116.

[F. No. 19/32/2015-Th.I (Part-III)]

VIVEK KUMAR DEWANGAN, Jt. Secy.